न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/555

1. जगदीश आयु 56 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया हाल नयानोहरा तहसली लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बबलू आयु 44 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती सोसर बाई आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी छोटूलाल जी लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती बसन्ती बाई आयु 47 वर्ष पुत्री स्व0 लालू जी पत्नी श्री मंगला जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती परसादी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी कस्तूरा जी जाति लश्करी (लश्करी) निवासी रामनगर, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. हरभजन सिंह आत्मज श्री प्रताप सिंह जाति सिक्ख निवासी नयागॉव उर्फ किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 22.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1113 रकबा 2.17 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1114 रकबा 1.67 हैक्टर कुल 02 किता की 3.84 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त आराजी वादीगण की पैतृक है जो पूर्व में वादीगण के पिता श्री लालूजी के खातेदारी में दर्ज थी । प्रतिवादी कम 1 ने षडयंत्रपूर्वक मिलीभगत कर कानून के खिलाफ

जाकर वादीगण की उक्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवा लिया है । बन्दोबस्त या अन्य किसी भी राजस्व अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अवैध एवं गैर कानूनी रूप से किसी खातेदार की जाति परिवर्तित कर दे और अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि सवर्ण जाति के सदस्य के नाम दर्ज कर दे । प्रतिवादी संख्या 1 जो सवर्ण जाति का सदस्य है ने वादग्रस्त आराजी गैर कानूनी रूप से अपने खाते दर्ज करवा ली है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जाति के खातेदार की भूमि अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के सदस्यों के खाते किसी भी रूप में दर्ज नहीं की जा सकती । वादीगण के पिता लालू जी अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते रहे । वादीगण के पिता श्री लालू जी का वर्ष 2013 में स्वर्गवास हो गया है । श्री लालू जी की पत्नी का भी पूर्व में स्वर्गवास हो गया है । वादीगण लालू के पुत्र व पुत्री होने से उनके विधिक वारिस व उत्तराधिकारी हैं जो अपने पिता की उक्त आराजी का रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर अपने को खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी है । प्रतिवादी कम 1 उक्त इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी को बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी कम 1 का नाम खाते हटाया जाकर उक्त भूमि वादीगण के नाम खाते में दर्ज की जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत वाद में वादीगण स्वयं को लालू जी का उत्तराधिकारी बताकर आए हैं । लालू पुत्र भवाना द्वारा उक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा नन्दा पुत्र हरलाल लश्करी को दिनांक 05.06.1990 को विक्रय कर दिया है, विक्रय की प्रति संलग्न है । लालू एवं नन्दा दोनों एक ही जाति के व्यक्ति हैं । लालू के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिये जाने से लालू का कोई अधिकार उक्त सम्पत्ति में नहीं रहा है । प्रकरण में वर्णित भूमि में लालू का ही अधिकार नहीं होने से लालू के उत्तराधिकारियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नही हो सकता । वादीगण को उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं होने से वादीगण को वाद करने का अधिकार नहीं है जिससे वाद चलने योग्य नहीं है । वादीगण द्वारा नन्दा के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे वाद चलने योग्य नहीं है । नन्दा के उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से प्रकरण में पक्षकार होना आवश्यक है । वादीगण द्वारा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को देखे बिना मात्र अन्दाज से वाद पेश कर दिया है । रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरित हुई है, रजिस्टर्ड बयनामे के बाबत् कोई भी प्रश्न माननीय राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 के द्वारा प्रतिवादी कम 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 27.09.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही लालू पुत्र भवाना जी व नन्दा पुत्र हरलाल को एक ही जाति का व्यक्ति मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित रूप से अपनी ही जाति के व्यक्ति को बेचान होना मानकर तथा रिकॉर्ड के विपरीत तथाकथित सहमति व शपथ पत्र को आधर बनाकर दावा वादीगण सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर मानने पर आदेश 07 नियम 11 के अधीन खारिज करने में त्रुटि की है । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के आवेदन के निस्तारण के लिये न्यायालय को केवल वादपत्र के अभिवचनों को अवलोकन कर निर्णय करना होता है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के आधार पर तथा अनुतोष के आधार पर दावा वादीगण अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का एवं श्रवण योग्य था । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में वादकारण को आक्षेपित नहीं किया गया था तथा वादकारण का प्रश्न साक्ष्य का प्रश्न होने से इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता था । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में क्लीन हैण्ड से दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना लालू पुत्र भवाना और नन्दा पुत्र हरलाल को एक ही जाति का व्यक्ति मानने में त्रुटि की है । लालू और नन्दा भिन्न–भिन्न जाति के व्यक्ति हैं जो विक्रय पत्र से स्पष्ट है । लालू पुत्र भवाना अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जबकि नन्दा पुत्र हरलाल जाति लश्करी सवर्ण जाति का व्यक्ति है । इसलिए धारा 42 बी के उल्लंघन में दस्तावेज शून्य है । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए केवल दावे में किये गये अभिवचनों का ही अवलोकन किया जा सकता है । वादपत्र के अनुसार दावा अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवण योग्य था । वादकारण का प्रश्न साक्ष्य का प्रश्न होने से इस स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सकता । गलत रूप से वादकारण पैदा होना नहीं माना गया है । अपीलान्ट ने क्लीन हैण्ड से अपने अधिकारों की घोषणा के लिए न्यायालय में दावा पेश किया है । किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दावा खारिज किया है जबकि आदेश 07 नियम 11 में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के दस्तावेजात नहीं देखे जा सकते । जो दस्तावेज रेस्पोडेन्ट ने पेश किये है उनके रिबटल का अवसर अपीलांट को नहीं मिला है । वादकारण Mixed Question of facts and law होता है जो साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है । कॉज ऑफ एक्सन दावे में मौजूद है । धारा 42 बी के उल्लंघन में विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है जो Void- abinitio है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242, डीएनजे 2015 (4) (राज.) पेज 1602 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी के द्वारा क्लीन हैण्ड से दावा पेश नहीं किया गया है । दावे की मद संख्या 4 में गलत तथ्यों का अंकन किया है इसमें यह अंकन किया है कि प्रतिवादी ने जो कि सवर्ण जाति का है अवैध रूप से वादग्रस्त आराजी को अपने खाते दर्ज करवा लिया है जबकि वादग्रस्त आराजी लालू ने अपनी ही जाति के नन्दा को विक्रय की थी और इस विक्रय पत्र के आधार पर नन्दा के खाते में दर्ज हुई थी। इन तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है जो व्यक्ति क्लीन हैण्ड से नहीं आता है उसे न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है । वादकारण भी मद संख्या 10 में गलत अंकित किया गया है । वादीगण के द्वारा प्रतिवादी से इस आराजी को अपने नाम दर्ज कराने लिए नहीं कहा गया है । नन्दा वादीगण के पिता लालू का रिश्तेदार था । उसे लालू ने सन् 1990 में वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान की थी और नन्दा के द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में वसीयत की थी जिसके आधार पर आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज हुई है। नन्दा के उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया है । वादी को दावा पेश करने का कोई कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है । सन् 1990 से वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते एवं कब्जे में है । धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय को अन्तर्निहित शक्तियॉ होती हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा यह कथन करते हुए हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखली का पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पैतृक भूमि जो पूर्व में उनके पिता लालू जी के खातेदारी में दर्ज थी और प्रतिवादी कम 1 ने जो कि सवर्ण जाति का है धारा 42 बी के उल्लंघन में वादग्रस्त आराजी अपने खाते दर्ज करवा ली है । इसमें यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर लालू अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे और सन् 2015 में प्रतिवादी कम 1 ने वादीगण को बेदखल कर आराजी पर कब्जा कर लिया है । दावे के साथ उनके द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 खाता संख्या 269 पेश की गई जिसके अनुसार ग्राम चन्द्रेसल की 02 किता की 3.84 - हैक्टर आराजी प्रतिवादी कम 1 हरभजनसिंह पुत्र प्रताप सिंह के खाते दर्ज है । नामान्तरकरण संख्या 133 की प्रमाणित प्रति भी पेश की गई है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 18.06.1990 का हवाला है जिसके अनुसार लालू के द्वारा बेचान करने पर नन्दा पुत्र हरलाल जाति लश्करी के खाते में दर्ज करने का आदेश हुआ है और इस नामान्तरकरण के आधार पर खातेदार नन्दा पुत्र हरलाल जाति लश्करी की वसीयत के आधार पर आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज हुई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2047 से 2050 भी संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी लालू पुत्र भवाना लश्करी (मेघवंशी) के खाते में दर्ज है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि कि प्रस्तुत वाद में वादीगण स्वयं को लालू जी का उत्तराधिकारी बताकर आए हैं । लालू पुत्र भवाना द्वारा उक्त भूमि का रजिस्टर्ड

विक्रय पत्र द्वारा नन्दा पुत्र हरलाल लश्करी को दिनांक 05.06.1990 को विक्रय कर दिया है, विक्रय की प्रति संलग्न है । लालू एवं नन्दा दोनों एक ही जाति के व्यक्ति हैं । लालू के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिये जाने से लालू का कोई अधिकार उक्त सम्पत्ति में नहीं रहा है । प्रकरण में वर्णित भूमि में लालू का ही अधिकार नहीं होने से लालू के उत्तराधिकारियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नही हो सकता । वादीगण को उक्त भूमि में कोई अधिकार नहीं होने से वादीगण को वाद करने का अधिकार नहीं है जिससे वाद चलने योग्य नहीं है । वादीगण द्वारा नन्दा के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिससे वाद चलने योग्य नहीं है । नन्दा के उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से प्रकरण में पक्षकार होना आवश्यक है । वादीगण द्वारा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को देखे बिना मात्र अन्दाज से वाद पेश कर दिया है । रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि हस्तान्तरित हुई है, रजिस्टर्ड बयनामे के बाबत् कोई भी प्रश्न माननीय राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया है ।

12. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य आपत्ति यह है कि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निरस्तारण करते समय कवेल दावे के अभिवचनों पर ही विचार किया जा सकता है । प्रतिवादी के जवाबदावे एवं उनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता । इस क्रम में उनके द्वारा डीएनजे 2015 (एससी) पेज 242, डीएनजे 2015 (4) (राज.) पेज 1602 नजीर पेश की गई हैं ।

13. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा उद्धरत नजीर के क्रम में वादी ने दावे में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनमें नामान्तरकरण संख्या 133 संलग्न है । इस नामान्तरकरण में नामान्तरकरण संख्या 90 दिनांक 18.06.90 का हवाला है और यह अंकित किया गया है कि लालू के द्वारा बेचान करने पर वादग्रस्त आराजी नन्दा पुत्र हरलाल जाति लश्करी के खाते में दर्ज हुई है परन्तु वादी ने अपने दावे में कहीं भी इस विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं किया है वरन् इस तथ्य को छुपाते हुए सिर्फ यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी क्रम 1 ने गलत रूप से यह आराजी अपने खाते में दर्ज करवा ली है । इस प्रकार वादी अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आए हैं, तथ्यों को छुपाकर न्यायालय में आए हैं और ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नहीं आता है वह न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज के अनुसार लालू के तन्हा खाते की थी । लालू ने सन् 1990 में नन्दा पुत्र हरलाल जाति लश्करी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से विक्रय की थी और आराजी नन्दा के नाम दर्ज करने के आदेश भी हुए थे इसके उपरान्त नन्दा की वसीयत के आधार पर आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में सन् 1990 से दर्ज हुई है । आराजी लालू के तन्हा खाते में दर्ज थी और उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सन् 1990 में बेचान कर दिया था । ऐसी स्थिति में लालू के कोई अधिकार इस आराजी में शेष नहीं रहे हैं । जब उक्त आराजी में लालू के कोई अधिकार ही नहीं है तो उनके वारिसों को भी कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में प्राप्त नहीं होते हैं ।

14. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सन् 1990 में आराजी नन्दा और उसके उपरांत प्रतिवादी क्रम 1 के खते में दर्ज हुई है । और वादी के द्वारा लालू के वारिस बताते हुए सन् 2015 में दावा पेश किया गया है । लालू के द्वारा उक्त भूमि का बेचान सन् 1990 में किये जाने के कारण उनके उक्त भूमि से अधिकार समाप्त हो चुके हैं ।

15. यदि वादीगण ऐसा महसूस करते हैं कि लालू जो कि उनके पिता थे, उनके द्वारा आराजी का गलत रूप से अन्तरण कर दिया गया है और वादग्रस्त आराजी में उनके हित–निहित है तो ऐसी स्थिति में उन्हें सिविल न्यायालय में चाराजोही करने चाहिए न कि राजस्व न्यायालय में । आरआरडी 1983 पेज 676 यहॉ चस्पा होती है, जिसमें hold किया गया है कि पैतृक संपति का यदि संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता द्वारा अन्तरण किया जाता है तो वह अन्तरण अन्य सहदायियों द्वारा आपत्ति करने पर voidable होगा और इसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होगा न कि राजस्व न्यायालय को। RLW 2008 (2) राजस्थान पृष्ठ 1390 भी यहां चस्पा होती है जिनमें hold किया गया है कि यदि वाद न्यायालय की प्रकिया का दुरूपयोग हो , उसे आदेश 7 Rule 11 में खारिज नहीं किया जा सकता हो तो न्यायालय असहाय नहीं है । वह CPC की धारा 151 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर वाद खारिज कर सकता है।

16. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जो विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 22.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

ख्या : 17 / 555

1. जगदीश आयु 56 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया हाल नयानोहरा तहसली लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बबलू आयु 44 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती सोसर बाई आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी छोटूलाल जी लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती बसन्ती बाई आयु 47 वर्ष पुत्री स्व0 लालू जी पत्नी श्री मंगला जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती परसादी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी कस्तूरा जी जाति लश्करी (लश्करी) निवासी रामनगर, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. हरभजन सिंह आत्मज श्री प्रताप सिंह जाति सिक्ख निवासी नयागॉव उर्फ किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

राजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टा जिला कोटा ।

संख्या: 148 / दावा / 2015

1. जगदीश आयु 56 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया हाल नयानोहरा तहसली लाडपुरा जिला कोटा ।
2. बबलू आयु 44 वर्ष आत्मज स्व0 श्री लालू जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी छोटा सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

3. श्रीमती सोसर बाई आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी छोटूलाल जी लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. श्रीमती बसन्ती बाई आयु 47 वर्ष पुत्री स्व0 लालू जी पत्नी श्री मंगला जी जाति लश्करी (मेघवंशी) निवासी लाडपुर कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. श्रीमती परसादी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री स्व0 श्री लालू जी पत्नी कस्तूरा जी जाति लश्करी (लश्करी) निवासी रामनगर, कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. हरभजन सिंह आत्मज श्री प्रताप सिंह जाति सिक्ख निवासी नयागॉव उर्फ किशनपुरा तकिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 22.03.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री भारत सिंह अडसेला एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमन्त कृष्ण विजय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.09.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 22.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

22/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा